

(66)

**मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड**  
**संचा0संधा0वृत्त, छिन्दवाडा**

क्रमांक-अयछि/संचा-संधा/सामान्य/ १५५)

/छिन्दवाडा, दिनांक- 17/6/2010

प्रति,

*किसान महापंचायत*  
*जिलाध्यक्ष कार्यालय*  
*छिन्दवाडा*

विषय :- किसान महापंचायत योजना की अवधि 31.03.2011 तक बढ़ाये जाने के संबंध में।

-00000-

महोदय,

हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि, मध्य प्रदेश शासन/मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा पूर्व में जारी किसान महापंचायत योजना की अवधि दिनांक 31.03.2011 तक बढ़ाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत जिन कृषकों की भूमि 2 हेक्टर से कम है, वे कृषक विद्युतीकरण कार्य की कुल लागत का 25 प्रतिशत एवं 2 हेक्टर से ज्यादा कृषि भूमि होने पर विद्युतीकरण कार्य की कुल लागत का 40 प्रतिशत राशि जमा कर पंप विद्युतीकरण का कार्य करवा सकते हैं। इस योजना में शेष राशि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वहन की जावेगी। जो कृषक "किसान महापंचायत योजना" के अन्तर्गत पंप विद्युतीकरण का कार्य करवाने के इच्छुक हो, वे अपने क्षेत्र से संबंधित वितरण केन्द्र कार्यालय अथवा संभागीय कार्यपालन यंत्री कार्यालय से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि, आपके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कृषकों को समझाईश देवें की वे इस योजना का समयावधि के अन्दर अधिकाधिक लाभ लेवें।

सहयोग की आशा के साथ ।

भवदीय

(के. एल. वर्मा)

अधीक्षण यंत्री (संचा-संधा)वृत्त  
म0प्र0पूर्व क्षेत्र वि0वि0क0लिमि0,छिन्दवाडा

क्रमांक-अयछि/संचा-संधा/सामान्य/  
प्रतिलिपि:-

/छिन्दवाडा, दिनांक-

1. मुख्य अभियन्ता (कार्य), कार्यालय अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता (जक्षे), म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर को सादर सूचनार्थ।
3. निज सचिव, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., जबलपुर। कृपया उक्त पत्र अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
4. कार्यपालन यंत्री (संचा-संधा), म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., शहर/पूर्व संभाग छिन्दवाडा/अमरवाडा/सौंसर/पांडुरना/जुन्नारदेव/परासिया।
5. सहायक यंत्री/कनिष्ठ यंत्री, म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि., उपसंभाग/वितरण केन्द्र.....।

नोट:-

यह पत्र जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों, माननीय सांसद महोदय, समस्त विधायक गण सहित जिला पंचायत एवम् योजना समिति के सभी सदस्यों को प्रेषित किया गया है। आपसे अनुरोध है कि, संभाग/उपसंभाग/वितरण केन्द्र स्तर के अन्य विभागों के समस्त अधिकारियों को अपने स्तर से इस पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आपके अधिनस्थ समस्त कार्यालय सहायक/मुख्यालय वार लाईन कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वे प्रत्येक ग्राम के सरपंच एवं अन्य जन प्रतिनिधियों को किसान महापंचायत योजना के संबंध में पम्पलेट वितरित करते हुये जानकारी देवें। शहरी क्षेत्र हेतु बैनर, फ्लेक्स अपने स्तर से मुख्य मार्गों एवं चौराहों पर लगाने की व्यवस्था करते हुये उचित प्रचार/प्रसार करें।

हस्ता./- के. एल. वर्मा

Recd on  
18/06/2010  
the same be displayed  
on district website  
for public awareness.  
NDE.